भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 307
दिनांक 03 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

शिशु देखभाल और संरक्षण गृह

307. श्री मद्दीला गुरुमूर्ति :

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के विषय में कोई परिभाषा तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मंत्रालय ने बच्चों के लिए देखभाल और संरक्षण गृहों की स्थापना की है, यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) विशेषकर आंध्र प्रदेश में इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;
(घ) आंध्र प्रदेश में इस समय ऐसे गृहों में कितने बच्चे रह रहे हैं; और
(ड.) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में ऐसे गृहों और बच्चों की संख्या में सुधार/वृद्धि हुई है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (किशोर न्याय अधिनियम, 2015) (2021 में यथासंशोधित) में ''देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का प्रावधान किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2(14) में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को परिभाषित किया गया है जो कि निम्नलिखित है :-

2(14) ''देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों'' से ऐसा बच्चा अभिप्रेत है :-

i. जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिसके पास जीवन निर्वाह के कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है; या

ii. जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने कुछ समय के लिए लागू श्रम कानूनों का उल्लंघन किया है या सड़क पर भीख मांगते या वहां रहते हुए पाया जाता है; या

iii. जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है (चाहे वह बच्चे का संरक्षक हो या नहीं) और ऐसे व्यक्ति ने, -

क. बच्चे को क्षति पहुंचाई है, उसका शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है या उसकी अपेक्षा की है अथवा बच्चों के संरक्षण के लिए अभिप्रेत कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून का अतिक्रमण किया है; या

ख. बच्चे को मारने, उसे क्षति पहुंचाने, उसका शोषण करने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है और उसकी धमकी को कार्यान्वित किए जाने की वाजिब संभावना है; या

ग. किसी अन्य बच्चे या बच्चों को मार दिया है, उसके या उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी या उनकी उपेक्षा या उसका या उनका शोषण किया है और प्रश्नगत बालक का उस व्यक्ति द्वारा मार दिए जाने, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसका शोषण या उसकी उपेक्षा किए जाने की वाजिब संभावना है; या

iv. जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है या घातक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता या देखभाल या देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता-पिता या संरक्षक है, किंतु वे उसकी देखरेख करने में, यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाए, असमर्थ है; या

v. जिसके माता-पिता अथवा कोई संरक्षक है और ऐसी माता या ऐसे पिता अथवा संरक्षक को बालक की देखरेख करने और उसकी सुरक्षा तथा कल्याण की संरक्षा करने के लिए, समिति द्वारा या बोर्ड द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाया जाता है; या

vi. जिसके माता-पिता नहीं है और कोई भी उसकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या जिसके माता-पिता ने उसक परित्याग या अभ्यर्पण कर दिया है; या

vii. जो गुमशुदा या भागा हुआ बच्चा है या जिसके माता-पिता ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वाजिब जांच के पश्चात भी नहीं मिल सके हैं; या

viii. जिसका लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या शोषण किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या

ix. जो असुरक्षित पाया गया है और उसे मादक द्रव्य दुरुपयोग या अवैध व्यापार में सम्मिलित किए जाने की संभावना है; या

x. जिसका अनुचित के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या

xi. जो किसी शस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है या प्रभावित है; या

xii. जिसको विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का आसन्न जोखिम है और उसके माता-पिता और कुटंब के सदस्यों, संरक्षक और अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह के अनुष्ठापन के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है।

(ख) : दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मिशन वात्सल्य स्कीम के अंतर्गत स्थापित और वित्तपोषित बाल देखरेख संस्थाओं का आंध्रप्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक - I** में दिया गया है।

(ग) : वर्ष 2022-23 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को मिशन वात्सल्य स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधि 19.76 करोड़ रुपये है।

(घ) : आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बनाए गए गृहों में 1446 बच्चे (31.01.2023 तक की स्थिति के अनुसार) रह रहे हैं।

(ङ.) : आंध्र प्रदेश राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान संचालित गृहों और शामिल किए गए बच्चों की संख्या निम्नलिखित है:-

वित्त वर्ष	**गृहों की सं.**	**बच्चों की सं.**
2019-20	89	3356
2020-21	92	3012
2021-22	92	3069

****

अनुलग्नक-I

'शिशु देखभाल और संरक्षण गृह' विषय पर श्री मद्दीला गुरुमूर्ति द्वारा दिनांक 03 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 307 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित विवरण

आंध्र प्रदेश सहित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्थापित और वित्तपोषित बाल देखभाल संस्थानों का राज्य-वार विवरण (31.03.2022 तक)

क्र. सं.	राज्य	बाल गृह	विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण (एसएए)	खुला आश्रय
1	आंध्र प्रदेश	56	15	5
2	अरुणाचल प्रदेश	5	2	0
3	असम	35	18	5
4	बिहार	31	25	0
5	छत्तीसगढ	42	12	9
6	गोवा	15	2	2
7	गुजरात	59	13	3
8	हरियाणा	25	6	12
9	हिमाचल प्रदेश	30	1	4
10	जम्मू और कश्मीर	11	2	0
11	झारखंड	24	9	2
12	कर्नाटक	74	36	35
13	केरल	19	8	3
14	मध्य प्रदेश	46	27	9
15	महाराष्ट्र	22	17	13
16	मणिपुर	47	9	17
17	मेघालय	37	4	4
18	मिजोरम	32	6	0
19	नागालैंड	23	4	2
20	ओडिशा	83	27	12
21	पंजाब	13	6	0
22	राजस्थान	60	33	20
23	सिक्किम	14	3	3
24	तमिलनाडु	182	21	11
25	त्रिपुरा	19	6	4
26	उत्तर प्रदेश	38	24	13
27	उत्तराखंड	9	5	4
28	पश्चिम बंगाल	62	26	38
29	तेलंगाना	37	14	0
30	अंडमान और निकोबार	10	1	0
31	चंडीगढ़	5	2	0
32	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	2	1	1
33	लद्दाख	0	0	0
34	लक्षद्वीप	1	0	0
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	24	3	9
36	पुदुचेरी	23	2	1
	कुल	**1215**	**390**	**241**